संख्या- 1110/एक–10-2023-33(36)/2018 टी०सी०2

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊः दिनांक : अक्टूबर, 2023

विषय– वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को प्रदान की गयी राहत सहायता पर हुये व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28/सी०आर०ए०-आपदा/2023-24, दिनांक- 25.07.2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया के अन्तर्गत तहसील बैरिया में गंगा एंव सरयू नदी में आयी बाढ् वर्ष 2021-22 के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए व्यय के अवशेष भुगतान हेतु रू0 15,54,807/- एवं वर्ष 2022-23 की बाढ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुए व्यय के अवशेष भुगतान हेतु रू0 16,63,550/- अर्थात कुल रू0 32,18,357/- की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष-2023-24 में बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देते हुए उक्त धनराशि **रू०** 32,18,357/- **(रूपये बत्तीस लाख अठारह हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी, बलिया** के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के पूर्व शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) आपदा से प्रभावित परिवार को भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020-***NDM-I (Vol-II)***, दिनांक-10.10.2022 में अनुमन्य राहत धनराशि सीधे पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से हस्तान्तरित की जाये। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रबन्धन हेतु किये जा रहे समस्त बचाव एवं राहत कार्यों हेतु धनराशि जनपदीय कोषागार से सीधे सम्बन्धित के बैंक खाते में

ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in/ पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) शासनादेश संख्या-892/एक-10-2023-33(36)/2018 टी०सी०1, दिनांक-13.07.2023 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित बिन्दुओं पर वांछित सूचना/आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को यह निर्देशित किया जाये कि संबंधित फर्म को भविष्य के लिए यह निर्देश दिया जाय यदि कार्य उन्हें दिया जाता है तो समय से बिल बाउचर नियमानुसार प्रस्तुत करें, बिना टेण्डर एवं क्रयादेश निर्गत के पूर्व के बिलों को जो नियमानुसार देय नही है उनको न प्रस्तुत किया जाय अन्यथा उन्हें ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही कर दी जायेगी। इस आशय की चेतावनी फर्म को दे दी जाय। साथ ही साथ बिल बाउचरों को वर्षवार स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही जनपद स्तर से समयबद्ध रूप से भी की जाय ताकि विगत वर्ष की धनराशि का अवशेष आगे के वर्षो में दिये जाने की स्थिति न बने।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये** 32,18,357/- **(रूपये बत्तीस लाख अठारह हजार तीन सौ सत्तावन मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद- 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by राम केवल
Date: 19-10-2023 17:40:51
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 1110(1)/एक-10-2023-33(36)/2018 टी०सी०-2, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- संबंधित मण्डलायुक्त ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।

4- राहत आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।

5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।

7- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-20/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1110
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1110
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3218357 9218357	3218357 9218357
	योग	वर्तमान प्रगामी	3218357 9218357	3218357 9218357

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बत्तीस लाख अठारह हजार तीन सौ सत्तावन
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बानवे लाख अठारह हजार तीन सौ सत्तावन

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन